राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी – कपिल कुमार (आर.टी.एस.) प्रकरण संख्या : 03/2011

अन्तर्गत धारा 90 क सपठित धारा 91 राजस्थान भू–राज. अधिनियम 1956

सरकार बनाम 1. भगवानाराम, लिछमणराम, नत्थूराम, रामेश्वरलाल पुत्रान् खेताराम जाति जाट निवासी सा0दे0, विधारधर पुत्र लिछमणराम पुनिया जाति जाट निवासी पुनिया की ढाणी वा.न. 2 नवलगढ।

दिनांकः 24.02.2020

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का, नवलगढ कि रिपोर्ट अनुसार ग्राम नवलगढ स्थित भूमि खसरा 1596 रकबा 0.4600 है की खातेदारी श्री भगवानाराम, लिछमणराम, नत्थूराम, रामेश्वरलाल पुत्रान् खेताराम पुत्रान् खेताराम जाति जाट निवासी सा.दे. के नाम दर्ज रिकॉर्ड हैं। उक्त भूमि में विधाधर पुत्र लिछमण पुनिया जाति जाट निवासी पुनिया की ढाणी वा.न. 02 नवलगढ द्वारा बिना संपरिवर्तन करवाये ही दुकानों का निर्माण एवं आर.सी.सी. की नींव भरकर निर्माण कार्य चालू कर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है जो कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ काम में ले लिया गया है। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क सपठित धारा 91 के तहत दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। सम्यक तामिल पश्चात अप्रार्थीगणों कि और से एडवोकेट उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया गया एवं जवाब हेतु समय मांगा गया, न्यायहित में बार–बार अवसर दिया जाने के पश्चात आज दिनांक तक अप्रार्थीगणों कि और से जवाब पेश नही किया गया है।

पत्रावली में संलगन दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा वर्तमान में मौका रिपोर्ट चाही गई जिसमें पटवारी हल्का कि रिपोर्ट के अनुसार उक्त ख.न. 1596 का न्यायालय विभाजन होने के बाद खसरा न 1596 की खातेदारी लक्ष्मणराम पिता खेताराम के दर्ज रिकॉर्ड होने के पश्चात लक्ष्मणराम पिता खेताराम द्वारा उपहार पत्र करवाने पर उक्त भूमि की खातेदारी मुखराम राजेश पुत्र विधाधर, साहनी पत्नी विधाधर के नाम से दर्ज रिकॉर्ड हुई, वर्तमान में उक्त खसरा न 1596 के विभाजन होने पर नया ख.न. 2008/1596, 2007/1596 की खातेदारी मुखराम पुत्र विधाधर जाति जाट सा देह खातेदार व राजेश पुत्र विधाधर के नाम से दर्ज रिकॉर्ड हुई है।

पटवारी हल्का नवलगढ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया जिसमे ग्राम नवलगढ स्थित भूमि खसरा न 1596 के विभाजन होने पर नया ख.न. 2008/1596, 2007/1596 कि खातेदारी मुखराम पुत्र विधाधर जाति जाट सा. देह खातेदार व राजेश पुत्र विधाधर के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। जो नगर पालिका नवलगढ के पेराफेरी क्षेत्र के अधीन आति है अतः नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्रांक प.3(313)नाविवि/3/2011 दिनांक 11.02.2020 की पालना में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की तहसीलदार की शक्तियों का प्रत्यायोजन प्राधिकृत अधिकारियों को किया गया है। जिससे दिनांक 17.06.1999 के बाद के जिन प्रकरणों में मूल खातेदार कृषि भूमि के रूपान्तरण की कार्यवाही के लिये आवेदन नही करता है और मौके पर खातेदार ना या उनके उत्तराधिकारी/हस्तान्तरितियां ने भूमि का गैर कृषिक उपयोग कर लिया है, ऐसे प्रकरणों में प्राधिकृत अधिकारी धारा 91 सपठित धारा 90–क के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये यथोचित आदेश पारित करेगा। अतः इस कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण मु0न0 06/2013 रा0ले0 रे0 एक्ट 1956 की धारा 90क सपठित 91 की पत्रावली नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्रांक प.3 (313) नाविवि/3/2011 दिनांक 11.02.2020 की पालना करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका नवलगढ को हस्तान्तरित की जाकर दर्ज रजीस्टर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

तहसीलदार नवलगढ़

Scanned by CamScanner